an>

Title: Need to exempt gold and diamond jewellery from excise duty.

**श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग)**ः केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट 2016 में स्वर्ण/डायमंड जेवर पर एक्साईज ड्यूटी आरोपित किया गया है। केन्द्र सरकार का यह कदम स्वर्ण/डायमंड व्यापार के हित में नहीं है। पूरे देश में उसके विरोध में सर्राफा दुकान बंद हैं। सामान्यतः एक्साईज संगठित क्षेत्र में उत्पादन पर लगता है किन्तु सर्राफा में जेवर निर्माण स्वर्णकारों द्वारा किया जाता है जो संगठित नहीं है। भारत के सर्राफा व्यापारी कर देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। उनका विरोध कर आरोपित करने पर नहीं है, अपितु एक्साईस तथा उसकी जटिलताओं की आड़ में इंस्पेक्टर-राज का विरोध है। सारे व्यापारी स्वयं जेवर निर्माण नहीं करते हैं या अपना कारखाना संचालित नहीं करते हैं, बल्कि जेवरों का निर्माण जॉब वर्क के मार्फत स्वर्णकार (कारीगरों) से करवाते हैं। एक जेवर तैयार होने में 8 से 10 लोगों का कार्य होता है जो कि किसी एक छत के नीचे नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक्साईज की जटिलता का अनुपालन कतई संभव नहीं है। एक्साईज की ड्यूटी हेतु सीमा 6 करोड़ या 12 करोड़ यह महत्वपूर्ण नहीं है, कानून आरोपित होने पर पूरा सर्राफा व्यवसाय एक्साईज डिपार्टमेंट के नियम अंतर्गत आ जायेगा।

सन 2012 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी सर्राफा व्यवसाय पर गोल्ड कंट्रोल की आड़ में एक्साईज डिपार्टमेंट द्वारा व्यापारी व स्वर्णकारों की व्यथा का उल्लेख कई भाषणों में किया है। सरकार के इस निर्णय की पुनः समीक्षा कर यदि करधान आवश्यक हो तो कस्टम ड्यूटी या किसी अन्य मद में ले लेवें। वर्तमान में लगभग पूरा सोना 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगकर ही आ रहा है। सर्राफा व्यापार को एक्साईज ड्यूटी से मुक्त करें व इस आदेश को वापस लें।